तमिलनाडु

97. द० आरकोट
98. चंगेलपट्टू
99. तंजावुर
100. धर्मपुरी
101. चिदम्बरनार
102. रामनाथपुरम

उत्तर प्रदेश

103. इलाहाबाद
104. सीतापुर
105. गाजीपुर
106. हरदोई
107. सोनभद्र
108. बलिया
109. मिर्जापुर
110. पिथौरागढ़
111. पौड़ीगढ़वाल
112. अल्मोड़ा
113. बांदा
114. बहराइच

प० बंगाल

115. मदनीपुर
116. कूचबिहार
117. वर्धमान
118. बांकुरा
119. पुरुलिया
120. बीरभूम

विकास खंडों का द्विभाजन

2805. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास को अधिक महत्व देने की दृष्टि से राज्यवार नये विकास खंडों का गठन करने पर विचार कर रही है ताकि बड़े विकास खंडों का द्विभाजन किया जा सके और विकास की गति को तीव्र किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से नये विकास खंडों के गठन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) बड़े विकास खण्डों का द्विभाजन और नये खण्डों को बनाना राज्य सरकारों का विषय है। इन खण्डों के सृजन के कारण भी संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) नये विकास खण्डों के सृजन संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई निधियां

2806. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश को किन-किन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि जिलावार प्रदान की गई; और

(ख) उक्त राशियों को खर्च करने के लिए कौन-कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना। (3) गहन जवाहर रोजगार योजना, (4) सुनिश्चित रोजगार योजना, (5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और (6) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हैं। गत वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई राशि का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)** तथापि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जिलावार निधियां रिलीज नहीं की जाती हैं। 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 48 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपर्युक्त निधियां खर्च करने के लिए निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:—

(1) **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम:** जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की गई निधियां समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नियमावली